न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / 2019	13 / 06 / 2019	31 / 10 / 2025

तेजमल पुत्र श्री बिरधीलाल उम्र 55 वर्ष जाति बावरिया निवासी तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

(वादी)

बनाम

रामपाल पुत्र श्री बिरधा जाति गुर्जर निवासी बिरोदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री रोहित तिवारी एड०।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित :– स्वयं।

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज० काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी वाकय ग्राम बिरोदा खंसरा नं. 316/329 का रकबा 1.27 हैक्टर कुल रकबा 1.27 हैक्टर आराजी विद्यमान है जो पटवार नक्शे के मुताबिक उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है। वादी उक्त खेत में कई वर्षो से खेती करता चला आ रहा है किन्तु वृद्धावस्था होने के कारण व मेहनत मजदूरी करने बाहर जाने के कारण उक्त खेत प्रतिवादी को पाती काश्त पर जुपा कर मेहनत मजदूरी करने चला गया, तथा वादी मेहनत मजदूरी करके वापस आया और फसल कटाई के पश्चात् वादी अपने खेत को हाकने के लिए गया तो प्रतिवादी से वादी से कहा कि खेत में क्या कर रहा है वादी ने कहा खेत मेरा है तथा में अपनी जमीन पे काश्त करने आया हूँ तो प्रतिवादी ने कहा की यह खेत अब मेरे नाम हो गया है तो एस.सी. का व्यक्ति है में गुर्जर हूँ इस खेत को मेने अपने नाम करवा लिया है तु दुबारा खेत पर मत आना। वादी अपने जमीन में लडाई–झगड़े के डर के मारे वहा से भाग आया नहीं तो प्रतिवादी व उसके अन्य साथी वादी को जान से मार देते, तथा वादी के पास कुछ समय पश्चात् उपखंड न्यायालय इटावा से नोटिस आया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन को बदनियति से हडपना चाहता था इसके जरिये प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ धारा 88, 89, 92 ए, एंव 188 आरटीएक्ट का दावा वादी के खिलाफ पेश कर रखा था तथा साथ में 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र लगा रखा था, जिसमें वादी ने उपस्थित होकर 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2017 को उपखंड न्यायालय से खारिज करवाया व प्रतिवादी द्वारा उक्त दावे की अपील कोटा की यहा प्रतिवादी को माननीय न्यायालय द्वारा से असफलता मिली। वाद कारण दिनांक 30/05/2019 को वादी द्वारा जब अपने खेत पर काश्त करने गया और प्रतिवादी द्वारा खेती करने से मना किया और लडाई–झगडा करने को उतारू हो गये तब उत्पन्न हुआ। वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी बहुत गरीब और वृद्ध व्यक्ति है तथा वादी को न्याय दिलाये जाने व प्रतिवादी को वादी की जमीन वाके ग्राम बिरोदा खंसरा नं. 316/339 का रकबा 1.27 हेक्टर से बेदखल करने व प्रतिवादी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति से हस्तक्षेप न करे।

वाद दर्ज रजि० किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी 18.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। कई बार जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी०डब्ल्यू० 1 पेश किया। वाद पत्र प्रदर्श पी–1, न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग का आदेश दिनांक 22.03.2006 प्रदर्श पी–2, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा वाद पत्र 136 एलआरएक्ट का आदेश दिनांक 09.05.2003 प्रदर्श पी–3, नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 वाके बीरोदा प्रदर्श पी–4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–5 वाद के समर्थन पेश किए। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन मनन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम बिरोदा पटवार मण्डल जोरावरपुरा की खसरा नं० 316/339 रकबा 1.27है० बारानी दोयम तेजमल

पुत्र बिरधीलाल जाति बावरिया सा0 तलाब के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है एवं सदभावी कृषक है। प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी आराजी पर अतिक्रमण एडवर्स पजेशन के आधार पर स्थानीय न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीएक्ट 35/2016 पेश किया। जिसे दिनांक 14.06.2017 को निस्तारित कर खारिज कर दिया गया। जिसकी माननीय अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में किए जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 16.11.2018 को खारिज कर दिया है। तात्पर्य यह है कि उक्त खातेदारी ख0नं0 316/339 रकबा 1.27है0, पर प्रतिवादी का अवैध रूप से अतिक्रमण सिद्ध है। यदि उक्त अतिचारी का अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वादी को अपने परिवार का भरण–पोषण करने में भंयकर असुविधा हो रही है। अतिचारी को बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः ग्राम बीरोदा पटवार मण्डल जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा के आराजी ख0नं0 316/339 रकबा 1.27है0 पर अवैध रूप से काबिज रामपाल पुत्र बिरधा जाति गुर्जर नि0 बीरोदा को अतिचारी घोषित कर बेदखल करने के आदेश किए जाते है एवं वाद दायर दिनांक 12.06.2019 से आज तक 7 कृषि वर्षो के अतिचार के फलस्वरूप वार्षिक लगान 10.16 रु की 50 गुना पेनल्टी 10.16रुx50x7=3556 रु के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में अतिचारी को बेदखल कर शास्ति कायम/वसूल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26/2019	13/06/2019	31/10/2025

तेजमल पुत्र श्री बिरधीलाल उम्र 55 वर्ष जाति बावरिया निवासी तलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

(वादी)

बनाम

रामपाल पुत्र श्री बिरधा जाति गुर्जर निवासी बिरोदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री रोहित तिवारी एड०।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित :– स्वयं।

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री रोहित तिवारी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि बीरोदा पटवार मण्डल जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा के आराजी ख0नं0 316/339 रकबा 1.27है0 पर अवैध रूप से काबिज रामपाल पुत्र बिरधा जाति गुर्जर नि0 बीरोदा को अतिचारी घोषित कर बेदखल आदेश किए जाते है एवं वाद दायर दिनांक 12.06.2019 से आज तक 7 कृषि वर्षो के अतिचार के फलस्वरूप वार्षिक लगान 10.16 रु की 50 गुना पेनल्टी 10.16रुx50x7=3556 रु के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में अतिचारी को बेदखल कर शास्ति कायम/वसूल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा